

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-2/2013/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2013

1. प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल


विषय - पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति ।
संदर्भ- वित्त विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 14-6-2013 .

---●●●---

राज्य शासन द्वारा संदर्भित ज्ञाप दिनांक 14-6-2013 को जारी मंहगाई भत्ते के आदेश में अध्यापक संवर्ग क्रमांक 2 के समक्ष अंकित प्रविष्टियों को निम्नानुसार पढ़ा जाए :-
अध्यापक संवर्ग

क्रं.	अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
2.	दिनांक 01-04-2013(माह अप्रैल, 2013 का वेतन जो माह मई, 2013 में देय होगा)	मूल वेतन + ग्रेड पे का 80 %

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(मिलिन्द वाईकर)


अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग/
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2013

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 4-2/2013/नियम/चार
प्रतिलिपि

- 1 महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
- 2 आयुक्त स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 3 आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल
- 4 आयुक्त, नगरीय प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल
- 5 आयुक्त,कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
- 6 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
- 7 संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
- 8 सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(अजय चौबे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग